# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

**(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)**

**(1) अपील संख्याः—239 / 2017 / 225 (2017 / 00239)**

1. उमराव पुत्र रामकिशन, जाति जाट, नि0 गोपालपुरा, तह0 अंराई, जिला अजमेर ।
2. कैलाशनाथ पुत्र गोपीनाथ, जाति ब्राह्मण, नि0 बड़ी बस्ती पुष्कर, जिला अजमेर ।

**अपीलांटस**

**बनाम**

1. धन्नी पत्नि श्रवण,
2. रामस्वरूप पुत्र श्रवण,
3. रामसिंह पुत्र श्रवण,
4. इन्द्रसिंह पुत्र श्रवण,
5. चन्द्री पत्नी रामनारायण,
   समस्त जाति जाट, निवासी गोपालपुरा, तह0 अंराई, जिला अजमेर ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अंराई, जिला अजमेर ।

**रेस्पोडेंटस**

**अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़, दिनांक 7.9.2017 अंतर्गत प्रकरण संख्या 159 / 2016.**

**उपस्थितः—**

1. श्री दिनेश शर्मा, वकील अपीलांटस ।
2. श्री शंकरलाल चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 5.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 6.

**(2) अपील संख्याः—241 / 2017 / 225 (2017 / 00241)**

1. गोपाल पुत्र रामकिशन, जाति जाट, नि0 गोपालपुरा, तह0 अंराई, जिला अजमेर ।

**अपीलांट**

**बनाम**

1. धन्नी पत्नि श्रवण,
2. रामस्वरूप पुत्र श्रवण,
3. रामसिंह पुत्र श्रवण,
4. इन्द्रसिंह पुत्र श्रवण,
5. चन्द्री पत्नी रामनारायण,
   समस्त जाति जाट, निवासी गोपालपुरा, तह0 अंराई, जिला अजमेर ।
6. उमराव पुत्र रामकिशन, जाति ब्राहमण, नि0 गोपालपुरा, तह0 अंराई जिला अजमेर ।
7. कैलाशनाथ पुत्र गोपीनाथ, जाति ब्राहमण, नि0 बड़ी बस्ती पुष्कर, जिला अजमेर ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अंराई, जिला अजमेर ।

**रेस्पोडेंटस**

**अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़, दिनांक 7.9.2017 अंतर्गत प्रकरण संख्या 159/2016.**

**उपस्थितः—**

1. श्री हेमराज गुप्ता, वकील अपीलांट ।
2. श्री शंकरलाल चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 5.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार, रेस्पो0 संख्या 8.
4. रेस्पो0 संख्या 6 व 7 अनुपस्थित ।

## निर्णय

**दिनांकः— 18.10.2019**

1. यह दोनों अपीलें विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के आदेश दिनांक 7.9.2017 के विरूद्ध पृथक—पृथक इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. दोनों अपीलें एक ही आदेश के विरूद्ध होने तथा पक्षकारान एवं विवाद बिन्दु समान होने से दोनों अपीलों को साथ निर्णित किया जा रहा है । निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक—पृथक संधारित की जावे ।
3. संक्षेप में दोनों प्रकरणों के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 5/प्रार्थीगण ने अधी0न्याया0 में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत शिविर प्रभारी मण्डावरिया के समक्ष पेश कर कथन किया कि गोपालपुरा स्थित खातेदारी भूमि खाता संख्या नया 76 पुराना 78 खसरा नंबर 13, 14/1, 47, 48, 49/1, 49/2, 50, 51, 55, 297, 325, 326, 327 कुल किता 13 कुल रकबा 123—16—00 भूमि में आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध नहीं होने पर अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 45 में से रास्ता दिलाया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने आदेश दिनांक 7.9.2017 द्वारा प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा नंबर 45 में 13 बिस्वा भूमि में रास्ते के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह दो पृथक—पृथक अपीलें इस न्यायालय में पेश की है।
4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
5. विद्वान वकील अपीलांट अधिवक्ता श्री दिनेश शर्मा (अपील संख्या 239/2017) एवं विद्वान अधिवक्ता श्री हेमराज गुप्ता (अपील संख्या 241/2017)ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 5 द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 251 राज0काश्त0अधि0 अधी0न्याया0 के समक्ष पेश किया गया था वह अधी0न्याया0 के समक्ष पोषणीय नहीं था । अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांटस ने अपना विस्तृत जवाब पेश कर निवेदन किया था कि प्रार्थीगण/रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है तथा रेस्पो0 द्वारा प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पेश नपहीं किया गया है। खसरा नंबर 45 के सहखातेदार गोपाल पुत्र रामकिशन जाट को भी पक्षकार नहीं बनाया गया है । इस प्रकार पक्षकारों के अभाव में भी प्रार्थना पत्र संधारण योग्य नहीं था । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलांटस के खेत खसरा नंबर 45 में कभी कोई रास्ता नहीं रहा है न ही प्रार्थीगण/रेस्पो0 ने खसरा नंबर 45 में रास्ता होने बाबत् कोई साक्ष्य ही पेश किया गया था । रेस्पो0 के खेत खसरा नंबर 14/1, 47, 49/2 व 55 में आने—जाने हेतु मौके पर दो

रास्ते मौजूद है जहां से वे अपने खेतों मे आते जाते है, यह रास्ता करीबन 20 फीट चौड़ा है । उक्त रास्ता पूर्वजों के समय से उपयोग में लेते आ रहे है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर गौर नहीं कर त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि रिकार्डेड रास्ता खसरा नंबर 9 से रास्ता खसरा नंबर 12 से (जो गुमान वगैरह का है जो विपक्षीगण के खसरा नंबर 11 के सहखातेदार है) खसरा नंबर 11 के सहारे–सहारे विपक्षीगण के खेत खसरा नंबर 55 में पहुंचता है । इस कारण रेस्पो0 के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद है एवं यह न्याय का सुस्थापित सिद्धांत है कि जहां पर वैकल्पिक रास्ता मौजूद हो वहां नया रास्ता प्रदान नहीं किया जा सकता है । रेस्पो0 के खेतों में जाने के लिये पूर्व से दो वैकल्पिक रास्ते मौजूद है इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने अपीलांटस की आराजी में से रास्ते के आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है । रेस्पो0 ने अपीलांटस को हैरान–परेशान करने की नियत से अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया है । विद्वान वकील ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेशिकाओं के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने दिनांक 7.4.2014 को प्रकरण में बहस सुनना बताया है तत्पश्चात् आगामी पेशी दिनांक 13.4.2017, 3.5.2017, 15.5.2017 व 30.8.2017 प्रदान की गई । यह न्याय का सुस्थापित सिद्धांत है कि प्रकरण में बहस होने पर यदि 15 दिन के भीतर निर्णय पारित नहीं किया जाता है तो पुनः बहस में नियत किया जाकर पुनः सुनवापई की जानी चाहिये किन्तु अधी0न्याया0 ने अपनी आदेशिका दिनांक 30.8.2017 में यह अंकन करते हुए कि पक्षकारान पुनः बहस नहीं करना चाहते है, कानूनी भूल की है । अधी0न्याया0 को पुनः बहस सुनकर निर्णय पारित करना चाहिये था । यह भी कथन किया कि अपीलांट गोपाल खसरा नंबर 45 का सहखातेदार है जिसे प्रार्थीगण/रेस्पो0 ने पक्षकारा बनाये बिना उसकी पीठ पीछे एकतरफा में अपीलाधीन निर्णय पारित करवाया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः दोनों अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 5 ने जवाब बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । रेस्पो0 संख्या 1 से 5 गोपालपुरा स्थित भूमि खाता संख्या नया 76 पुराना 78 खसरा नंबर 13, 14/1, 47, 48, 49/1, 49/2, 50, 51, 55, 297, 325, 326, 327 कुल किता 13 कुल रकबा 123–16–00 भूमियों के खातेदार काश्तकार है । इन आराजियात पर आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध नहीं है । अपीलांटस की आराजी खसरा नंबर 45 रकबा 1–5–00 बीघा गै0मु0 रास्ते के रूप में काम आ रही है । अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व तहसीलदार से मौका पर्चा रिपोर्ट प्राप्त की है जिसमें तहसीलदार ने अंकित किया है कि खसरा नंबर 45 के अतिरिक्त अन्य कोई नजदीकी रास्ता रेस्पो0 की आराजियात में आवागमन हेतु उपलब्ध नहीं है । अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः दोनों अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 5 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 251 राज0काश्त0अधि0 पेश किये जाने पर अधी0न्याया0 ने तहसीलदार, अंराई को रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट पेश करने हेतु निर्देशित किया था । उक्त निर्देशों की पालना में पटवारी हल्का झाड़ौल ने दिनांक 17.11.2016 को मौका पर्चा रिपोर्ट तैयार कर अधी0न्याया0 को भिजवाई है । उक्त मौका पर्चा रिपोर्ट में यह अंकित किया गया है कि मौके पर खसरा नंबर 71 के लगायत खसरा नंबर 45 में से खसरा नंबर 53 व 52 के लगायत मौके पर रास्ता चालू

है। खसरा नबर 45 रकबा 40–02–00 बीघा में 1–05–00 बीघा भूमि गै0मु0 रास्ता दर्ज है । पटवारी हल्का ने अपनी इस रिपोर्ट में यह भी अंकित किया है कि प्रार्थीगण की आराजियात में आवागमन हेतु अन्य कोई राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं है । उक्त मौका पर्चा रिपोर्ट से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि प्रार्थीगण/रेस्पो0 की आराजियात में आवागमन हेतु मौके पर कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है । इसी प्रकार पत्रावली पर एक अन्य मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 10.1.2017 जो कि पटवारी झाडोल द्वारा तैयार की जाकर अधी0न्याया0 को प्रेषित की गई है । उक्त रिपोर्ट में यह अंकित किया गया है कि ''मौके पर आस–पड़ौस के खातेदार उपस्थित मिले । मौके पर उपस्थित ने बताया कि रामस्वरूप, रामसिंह, इंद्रसिंह पि0 श्रवण कौम जाट, नि0 गोपालपुरा अपनी खातेदारी भ्झूमि में खसरा नबर 8 की पश्चिमी मेड़ के सहारे–सहारे वर्षो से आते जाते है एवं इसी रास्ते से अन्य काश्तकार भी अपने–अपने खेतों में जाते है । इसी रिपोर्ट में आगे यह अंकित है कि प्रतिवादी ने बताया कि खसरा नंबर 45 व 49/2 के मध्य खसरा नंबर 51 गे0मु0 पाल है । पाल की उंचाई 10–12 फीट व चौड़ाई 15 फीट है । वादी के खसरा नंबर 50 में फार्म पोण्ड बना हुआ है एवं खसरा नंबर 49/2 में बरसात के समय मे पानी भरता है जिससे वादी दोनों फसलों की सिंचाई करता है । मौके पर उपस्थित ने बताया कि खसरा नंबर 49/2 में पानी भरा रहने से वादी का अन्य खेतों में उक्त रास्ते से आना जाना संभव नहीं है ।'' उक्त मौका रिपोर्ट से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 5 की आराजियात में आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक एवं निकटतम रास्ता मौजूद नहीं है । अधी0न्याया0 ने इन्हीं सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थीगण/रेस्पो0 की खातेदारी आराजियात खाता संख्या नया 76 पुराना 78 खसरा नंबर 13, 14/1, 47, 48, 49/1, 49/2, 50, 51, 55, 297, 325, 326, 327 कुल किता 13 कुल रकबा 123–16–00 भूमि में आवागमन हेतु अपीलांटस की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 45 में से रास्ते हेतु खसरा नंबर 52 की उत्तरी मेड व खसरा नंबर 45 की पश्चिमी मेड के सहारे–सहारे 125 गठ्ठा यानि 832 फीट लंबा व 2 गठ्ठा चौड़ा रास्ता डी0एल0सी0 दर की दुगनी राशि पर दिये जाने के आदेश पारित किये है । विद्वान अधी0न्याया0 का उक्त निर्णय विधिसम्मत् है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नहीं होती है । उपरोक्त विवेचन अनुसार दोनों अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 का आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

8. अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 239/2017 बउनवान उमराव बनाम धन्नी वगै0 एवं अपील संख्या 241/2017 गोपाल बनाम धन्नी वगै0 को खारिज किया जाता है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 7.9.2017 यथावत् रखा जाता है । । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

**(बी0एल0मेहरड़ा)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**

9. निर्णय आज दिनांक 18.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

**(बी0एल0मेहरड़ा)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**